राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010 जयपुर, दिनांक 24.4.2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषय :-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यो पर श्रमिकों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.02.2010 एवं 19.3.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक कार्य स्थल पर सामान्यतः 70 श्रमिकों से अधिक एवं माह अप्रेल से जून की कार्यावधि में 120 से अधिक श्रमिकों को नियोजित नहीं करने बाबत निर्देश दिये गये थे।

दो हेक्टयर क्षेत्रफल से बड़े तालाब जिनमें वर्षा जल की आवक के मद्दे नजर खुदाई करवाना उपयोगी है एवं सड़क निर्माण एवं प्लान्टेशन जैसे कार्य स्थल जो लंबाई में 500 मीटर से भी अधिक है तथा जहां कार्य निष्पादन एवं प्रबन्धकीय सुगमता के मद्दे नजर 120 से अधिक श्रमिक नियोजन व्यावहारिक रूप से संभव है, ऐसी ग्राम पंचायतों में प्राप्त कुल प्रपत्र संख्या-6 तथा श्रम एवं सामग्री मद में उपलब्ध राशि की समीक्षा उपरान्त एवं ऐसे कार्य स्थल का विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता(नरेगा) द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात लिखित आदेश जारी किया जाकर (इस आदेश की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को दी जानी आवश्यक होगी) किसी एक कार्य स्थल पर अधिकतम 200 श्रमिक तक नियोजित किये जा सकेंगे, परंतु ऐसे प्रत्येक कार्य स्थल का पखवाड़े के मध्य में कम से कम एक बार विकास अधिकारी अथवा सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक रूप से श्रमिकों के समूह में नियोजन, टास्क प्राप्ति एवं उपस्थिति संबंधी निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट जिला कलेक्टर तथा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक को भिजवाई जानी आवश्यक होगी।

भवदीय

24/4/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त (राजस्थान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/4/10.

परि.निदे. एवं उप सचिव ईजीएस

D:\RAM\RNMEHTA-LETTER.doc